

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 87 / संचा.-वि.स. / 2026

नवा रायपुर, दिनांक 30/6 / 2026

प्रति,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर

विषय :-विधानसभा प्रश्न क्रमांक 823 अतारांकित द्वारा श्री ओंकार साहू, सदस्य
विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 823 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 02.07.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 10/07/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 17/07/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच तथा माप-तौल संबंधी कार्यवाही

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 823) श्रीओंकार साहू

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिला धमतरी के अंतर्गत होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा वैध माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत कितनी बार निरीक्षण किया गया? विकासखंडवार एवं प्रतिष्ठानवार विवरण दें। (ख) उक्त अवधि में निरीक्षण के दौरान खाद्य गुणवत्ता, स्वच्छता, कम तौल, पैकेज्ड वस्तुओं पर अंकित मूल्य से अधिक वसूली अथवा अन्य अनियमितताओं के कितने प्रकरण पाए गए? संबंधित प्रतिष्ठानों के नाम, जांच की तिथि एवं जांच अधिकारी का विवरण दें। (ग) पाए गए प्रकरणों में कितने प्रतिष्ठानों पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन अथवा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की गई? वसूल की गई राशि एवं वर्तमान स्थिति का विवरण दें।

उत्तर :

माप-विज्ञान से संबंधित